

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या - 3प/पैरा/मेडिकल/10/2022/

दिनांक 08 जुलाई, 2022

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या - 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डार्करूम सहायक संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दीवान सिंह बिष्ट	डार्करूम सहायक	बेस चिकित्सालय, अल्मोडा	टी0बी0 क्लीनिक, अल्मोडा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:-3प/पैरा/मेडिकल/10/2022/

164-24

तददिनांकित।

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
- जिला क्षय रोग अधिकारी, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(एस0 के0 झा)
संयुक्त निदेशक (पै0मे0)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या - 3प/पैरा/मेडिकल/10/2022/

दिनांक 88 जुलाई, 2022

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या - 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डार्करूम सहायक संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती भावना भण्डारी	डार्करूम सहायक	गोविन्द सिंह मेहरा चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोडा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटाबाग, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:-3प/पैरा/मेडिकल/10/2022/

16426

तददिनांकित।

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गोविन्द सिंह मेहरा चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
- अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटाबाग, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(एस० के० झा)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या - 3प/पैरा/मेडिकल/10/2022/

दिनांक 08 जुलाई, 2022

-: आदेश :-

एतद्वारा तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या - 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डार्करूम सहायक संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री पंकज टम्टा	डार्करूम सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैजनाथ, बागेश्वर	गोविन्द सिंह मेहरा चिकित्सालय अल्मोडा रानीखेत,	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजीक में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(शैलजा भट्ट)
महानिदेशक।

16428

पत्र संख्या:-3प/पैरा/मेडिकल/10/2022/

तददिनांकित।

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गोविन्द सिंह मेहरा चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
- अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वैजनाथ, बागेश्वर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(एस10 के0 झा)
संयुक्त निदेशक (पै0मे0)